न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एवं एस.सी.एस.टी. (POA) अधि.) जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.)

{समक्ष– श्रीमती बरखा दिनकर}

विशेष प्रकरण क्रमांक–100/2023
संस्थित दिनांक–23/06/2023
फायलिंग नम्बर–एससी 17379/2023
सी.एन.आर.–एम.पी.20010229572023

म.प्र. राज्य द्वारा, आरक्षी केन्द्र–**गोरखपुर**
जिला जबलपुर (म.प्र.) ....**अभियोजन**

–:।। विरूद्व ।।:–

राज उर्फ शिवम गुप्ता पिता मनोज गुप्ता,
उम्र 20 वर्ष, निवासी गौर सालीवाड़ा,
मुन्ना डेरी के पास, थाना बरेला,
जिला जबलपुर (म.प्र.)
....**अभियुक्त**

म.प्र. राज्य द्वारा – श्रीमती मनीषा दुबे, विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्त द्वारा – श्री सुरेश मिश्रा अधिवक्ता।

प्रारूप घ

(निर्णय आज दिनांक 22 जनवरी 2024 को घोषित किया गया)

विशेष प्रकरण क्रमांक–100/23
प्र.सू.रि./अपराध क्र. 287/23
निर्णय दिनांक–22/01/24

परिवादी:– पुलिस थाने का विवरण–**आरक्षी केन्द्र गोरखपुर**
राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोरखपुर जिला जबलपुर

प्रतिनिधित्व द्वारा :– अधिवक्ता का नाम श्रीमती मनीषा दुबे
विशेष लोक अभियोजक

अभियुक्तः— राज उर्फ शिवम गुप्ता पिता मनोज गुप्ता, उम्र 20 वर्ष, निवासी गौर सालीवाड़ा, मुन्ना डेरी के पास, थाना बरेला, जिला जबलपुर (म.प्र.)

प्रतिनिधित्व द्वाराः— अधिवक्ता का नाम श्री सुरेश मिश्रा

प्रारूप ड

अपराध की तारीख	28.03.23 से 17.04.23 के मध्य
प्र.सू.रि. की तारीख	19.04.23
अभियोगपत्र प्रस्तुति की तारीख	23.06.23
आरोपों की विरचना की तारीख	28.06.23
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	26.08.23
आदेश सुरक्षित किये जाने की तारीख	18.01.24
निर्णय की तारीख	22.01.24
दण्डादेश यदि कोई हो तो की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दप्रसं. के प्रयोजनार्थ विवरण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01.	राज उर्फ शिवम गुप्ता पिता मनोज गुप्ता, उम्र 20 वर्ष, निवासी गौर सालीवाड़ा, मुन्ना डेरी के पास, थाना	19.04.2023	17.08.2023	धारा 376(2), 376(2)(n) व 506 भाग—दो भा.द.वि. एवं एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3 सहपठित धारा 4(2) 5(L) सहपठित धारा 6 एवं एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1)(w)(i) , 3(2)(v)	**दोषमुक्त**	**निरंक**	दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 17.08.2023 तक

	बरेला, जिला जबलपुर (म.प्र.)						

<u>प्रारूप–च</u>

<u>अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची</u>

क. अभियोजनः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी पुलिस विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी एवं अन्य साक्षी**
अ.सा. 1	उत्तरजीवी A	स्वयं पीड़ित साक्षी
अ.सा. 2	उत्तरजीवी की माता B	अनुश्रुत साक्षी
अ.सा. 3	उत्तरजीवी के पिता C	अनुश्रुत साक्षी
अ.सा. 4	रीडर अनीता सिंह	जाति संबंधी साक्षी
अ.सा. 5	प्रधान पाठक अरूणा ठाकुर	आयु संबंधी साक्षी
अ.सा. 6	डॉ. नेहा पौराणिक	चिकित्सीय साक्षी
अ.सा. 7	उपनिरीक्षक संध्या चंदेल	अनुसंधानकर्ता साक्षी
अ.सा. 8	निरीक्षक अरविंद कुमार चौबे	अनुसंधानकर्ता साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी पुलिस विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी एवं अन्य साक्षी**
ब.सा. 1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी पुलिस विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी एवं अन्य साक्षी**
न्या.सा. 1	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :–

सं.क्र.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी–01	लिखित शिकायती आवेदन
2	प्रदर्श पी–02	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी–03	नक्शा मौका
4	प्रदर्श पी–04	नक्शा मौका
5	प्रदर्श पी–05	उत्तरजीवी की कक्षा दसवीं की मूल अंकसूची
6	प्रदर्श पी–07	उत्तरजीवी का मूल जाति प्रमाणपत्र
7	प्रदर्श पी–07ए	उत्तरजीवी की कक्षा दसवीं की अंकसूची व जाति प्रमाणपत्र संबंधी जप्ती पत्रक
8	प्रदर्श पी–08	उत्तरजीवी के धारा 164 दंप्रसं के कथन
9	प्रदर्श पी–09	उत्तरजीवी के पुलिस कथन
10	प्रदर्श पी–10	अभियुक्त का आईडेंटिफिकेशन फॉर्म
11	प्रदर्श पी–11	उत्तरजीवी की माता के कथन
12	प्रदर्श पी–12	उत्तरजीवी के पिता के कथन
13	प्रदर्श पी–13सी	राजस्व संबंधी रजिस्टर की छायाप्रति
14	प्रदर्श पी–14सी	दाखिल–खारिज पंजी की छायाप्रति
15	प्रदर्श पी–15	विद्यायल का प्रमाणपत्र
16	प्रदर्श पी–16ए	उत्तरजीवी का मुलाहिजा फॉर्म
17	प्रदर्श पी–16	उत्तरजीवी का मुलाहिजा फॉर्म
18	प्रदर्श पी–17	अभियुक्त का गिरफतारी पत्रक
19	प्रदर्श पी–18	अभियुक्त का मुलाहिजा फॉर्म
20	प्रदर्श पी–19	उत्तरजीवी के वीडियोग्राफी कथन की सीडी मय धारा 65बी प्रमाणपत्र संबंधी जप्ती पत्रक
21	प्रदर्श पी–20	उत्तरजीवी की कक्षा पहली की दाखिल–खारिज पंजी की छायाप्रति, घोषणा पत्र की छायाप्रति संबंधी जप्ती पत्रक

22	प्रदर्श पी–21	अभियुक्त का फॉर्वडिंग नोट
23	प्रदर्श पी–22	ईडीटीए वॉइल में अभियुक्त का रक्त नमूना संबंधी जप्ती पत्रक
24	प्रदर्श पी–23	डीएनए परीक्षण हेतु भेजे गये मुद्देमाल का ड्राफ्ट
25	प्रदर्श पी–24	डीएनए परीक्षण हेतु भेजे गये मुद्देमाल की जमा रसीद
26	प्रदर्श पी–25	डीएनए रिपोर्ट

ख. प्रतिरक्षा

सं.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

सं.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं.क.	**भौतिक सामग्री संख्या**	**विवरण**
1	आर्टिकल–A	उत्तरजीवी की वैजाइनल स्लाइड
2	आर्टिकल–B	उत्तरजीवी की अण्डरवियर
3	ऑब्जेक्ट–C	अभियुक्त राज उर्फ शिवम गुप्ता की सीमन स्लाइड
4	आर्टिकल–D	अभियुक्त राज उर्फ शिवम गुप्ता का ब्लड सेम्पल

–:: ।। निर्णय ।।::–

(आज दिनांक 22/01/2024 को घोषित)

1. अभियुक्त **राज उर्फ शिवम गुप्ता** के विरूद्ध **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376(2), 376(2n) व 506 भाग–दो एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4(2) व 5(L) सहपठित धारा 6 एवं**

<u>अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(w)(i) व 3(2)(v)</u> के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 28.03.2023 को रात के 01:30 स्थान सौरभ का घर में, 3 नंबर टंकी के पास, नयागांव, रामपुर, थाना गोरखपुर, जिला जबलपुर में स्वयं अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य न होते हुये, 18 वर्ष से कम आयु की उत्तरजीवी जो कि अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, इस बात की जानकारी रखते हुये उसके साथ बलात्संग कारित कर, प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया एवं दिनांक 28.03.2023 से 17.04.2023 के मध्य की अवधि में सांई नगर पहाड़ी, थाना गोरखपुर, जिला जबलपुर में बार–बार बलात्संग कारित कर, गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया एवं उत्तरजीवी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य न होकर, उत्तरजीवी जो कि एक अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, को स्पर्श किया, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य लैंगिक प्रकृति का है और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना है।

2. प्रकरण में कोई अविवादित तथ्य नहीं है।

3. न्यायदृष्टांत **<u>''ललित यादव विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ (2018) 7 सुप्रीम कोर्ट केस 499''</u>** एवं **<u>निपुण सक्सेना विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य, एस.सी. निर्णय दिनांक 11/12/2018</u>** के अनुपालन में, पीड़िता की पहचान उद्घृत न हो, इस कारण पीड़िता को ''**उत्तरजीवी**'' से संबोधित किया जायेगा तथा उससे संबंधित अन्य विवरण जैसे उसके रिश्तेदारों के नाम, उसके विद्यालय का नाम, निवास स्थल आदि का उल्लेख निर्णय में नहीं किया जा रहा है। निर्णय की आगे की कंडिकाओं में उत्तरजीवी को A से, उत्तरजीवी की माता को B से एवं उत्तरजीवी के पिता को C से संबोधित किया जा रहा है।

4. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.04.2023 को उत्तरजीवी द्वारा थाना गोरखपुर में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित शिकायती आवेदन प्रदर्श पी 1 प्रस्तुत किया गया कि दिसंबर 2022 में उसकी जान–पहचान उसके पड़ोस में रहने वाले राज गुप्ता से हुई थी, जिसके बाद वे अक्सर मिलने लगे थे। दिनांक 28.03.2023 को राज ने उसे उसके पड़ोस में रहने वाले सौरभ भैया के घर पर रात में मिलने बुला और जब वह रात में वहां गई, तो सौरभ भैया के घ ार पर राज अकेला था, तब राज ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये और उससे कहा कि यदि उसने किसी को उक्त बात बताई, तो वह उसे जान से खत्म कर देगा, जिसके बाद वह डर के कारण अपने घर आ गई। उस दिन के बाद राज उसे बदनाम करने की धमकी देकर सांई नगर पहाड़ी पर बुला कर उसके लगभग 8–9 बार शारीरिक संबंध बना चुका है। दिनांक 17.04. 2023 को राज गुप्ता फिर से उसे मिलने के लिये कहा और जब उसने उसे मना कर दिया, तो वह उसे बदनाम करने की धमकी देने लगा, तब उसने हिम्मत करके उसकी माता को घटना के बारे में बताया और रिपोर्ट करने थाने आ गई। उत्तरजीवी के उक्त लिखित शिकायती आवेदन के आधार पर थाना गोरखपुर द्वारा अपराध क्रमांक 287/2023, अंतर्गत धारा 376, 376(2n) व 506 भादवि, धारा 3/4 व 5L/6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(1)(w)(i), 3(1)(w)(ii) व 3(2)(v) एससीएसटी एक्ट के तहत **प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 02** लेखबद्ध कराई गई।

5. विवचेना के दौरान अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किय गये। उक्त दिनांक को ही उत्तरजीवी की कक्षा दसवीं की अंकसूची व जाति प्रमाणपत्र जप्त कर **जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 7** तैयार किया गया। उक्त दिनांक को ही उत्तरजीवी का **मुलाहिजा फॉर्म प्रदर्श पी 16ए** भरकर,

उसे एल्गिन अस्पताल भेजा गया, जहां परीक्षण उपरांत **मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 16** प्राप्त कर, उत्तरजीवी की वैजाइनल स्लाइड, अण्डरवियर, सील नमूना व मुलाहिजा रिपोर्ट जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त को गिरफतार कर **गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी 17** तैयार किया गया एवं गिरफतारी की सूचना अभियुक्त के परिजनों को प्रदान की गई।

6. विवचेना के दौरान दिनांक 20.04.2023 को उत्तरजीवी की निशानदेही पर घटना स्थलों के **मौका नक्शा प्रदर्श पी 3 व 4** तैयार कर, उत्तरजीवी के धारा 164 दंप्रसं के **कथन प्रदर्श पी 8** लेखबद्ध कराये गये। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त का **मुलाहिजा फॉर्म प्रदर्श पी 18** भरकर उसे विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया, जहां परीक्षण उपरांत अभियुक्त का सीमन स्लाइड व सील नमूना जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। दिनांक 26.04.2023 को उत्तरजीवी के वीडियोग्राफी कथन की सीडी मय धारा 65बी प्रमाणपत्र जप्त कर **जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 19** तैयार किया गया। दिनांक 28.04.2023 को उत्तरजीवी की कक्षा पहली की दाखिल–खारिज पंजी व घोषणा पत्र की छायाप्रति जप्त कर **जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 20** तैयार किया गया।

7. विवेचना के क्रम में दिनांक 08.05.2023 को अभियुक्त का मुलाहिजा फॉर्म भरकर उसे रक्त नमूना एकत्रित करने हेतु अस्पताल ले जाया गया, चिकित्कस के द्वारा अभियुक्त का रक्त नमूना एकत्रित कर **आईडेंटिफिकेशन फॉर्म प्रदर्श पी 10** तैयार किया गया एवं अभियुक्त का रक्त नमूना जप्त कर **जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 22** तैयार किया गया। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त का **फॉर्वडिंग नोट प्रदर्श पी 21** तैयार कर, उक्त दिनांक को ही प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल डीएनए परीक्षण हेतु क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल भेजे गये, जिससे संबंधित **ड्राफ्ट प्रदर्श पी 23** व **जमा रसीद प्रदर्श पी 24** है, जिन्हें अभियोगपत्र में संलग्न कर, विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर प्रकरण की **डी.एन.ए. रिपोर्ट प्रदर्श पी 25**

जो कि **धनात्मक** प्राप्त हुई है, उसे प्रकरण में संलग्न किया गया।

8. निर्णय की कंडिका क्रमांक 1 के अनुसार आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त राज उर्फ शिवम गुप्ता ने अपराध करना अस्वीकार कर विचारण की वांछा की। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के परीक्षण में उसने व्यक्त किया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव में प्रवेश कराये जाने पर बचाव पक्ष द्वारा बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया गया।

9. प्रकरण के निराकरण के लिए निम्नानुसार विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :—

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या उत्तरजीवी A अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्या है, जबकि अभियुक्त नहीं है?
2	क्या घटना दिनांक 28/03/2023 से दिनांक 17/04/2023 के मध्य की समयावधि में उत्तरजीवी की आयु 18 वर्ष से कम होकर वह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2(डी) के अधीन ''बालक'' की श्रेणी की थी?
3	क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.03.2023 को रात के 01:30 स्थान सौरभ का घर में, 3 नंबर टंकी के पास, नयागांव, रामपुर, थाना गोरखपुर, जिला जबलपुर में 18 वर्ष से कम आयु की उत्तरजीवी, जो कि एक स्त्री है, के साथ बलात्संग कारित किया?
4	क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.03.2023 से 17.04.2023 के मध्य की अवधि में सांई नगर पहाड़ी, थाना गोरखपुर, जिला जबलपुर में उत्तरजीवी के साथ बार–बार या एक से अधिक बार बलात्संग कारित किया?
5	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर, 18 वर्ष से कम आयु की उत्तरजीवी की योनि में अपना लिंग प्रवेश कराकर उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला

	कारित किया?
6	क्या अभियुक्त ने उक्त समयावधि व स्थानों पर 18 वर्ष से कम आयु की उत्तरजीवी के साथ बार–बार या एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर, गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया?
7	क्या अभियुक्त ने उक्त समयावधि व स्थानों पर उत्तरजीवी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?
8	क्या अभियुक्त ने उक्त समयावधि व स्थान पर अनुसूचित जाति / जनजाति का सदस्य न होकर, उत्तरजीवी जो कि एक अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, को स्पर्श किया, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य लैंगिक प्रकृति का है और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना है?
9	क्या अभियुक्त ने उक्त समयावधि व स्थान पर स्वयं अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य न होते हुये उत्तरजीवी जो कि अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, इस बात की जानकारी रखते हुये, उत्तरजीवी के साथ बार–बार बलात्संग किया?

–::– सकारण निष्कर्ष –::–

–: विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :–

10. अभियोजन की ओर से उत्तरजीवी A (अ.सा.1), उत्तरजीवी की माता B (अ.सा.2), उत्तरजीवी के पिता C (अ.सा.3), रीडर अनीता सिंह (अ.सा.4), प्रधान पाठक अरूणा ठाकुर (अ.सा.05), डॉ. नेहा पौराणिक (अ.सा.06), उपनिरीक्षक संध्या पटेल (अ.सा.07), निरीक्षक अरविंद कुमार चौबे (अ.सा.08) के कथन लेखबद्ध कराये गये हैं।

11. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में **उत्तरजीवी A (अ.सा.01),**

उत्तरजीवी की माता B (अ.सा.2) एवं **उत्तरजीवी के पिता C (अ.सा.3)** ने उनकी जाति गोंड होकर उनका अनुसूचित जनजाति होना बताया है एवं उत्तरजीवी ने उसका जाति प्रमाणपत्र प्रदर्श पी 9 भी पुलिस का जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 7 के मुताबिक जप्त करना बताया है। बचाव पक्ष के द्वारा उत्तरजीवी एवं उसके माता–पिता से उनकी जाति के संबंध में कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया है, जिससे उपरोक्त साक्षीगण के कथन उत्तरजीवी की जाति के संबंध में अखण्डनीय रहे हैं।

12. उत्तरजीवी की जाति के संबंध में अभियोजन द्वारा **रीडर अनीता सिंह (अ.सा.04)** के कथन भी लेखबद्ध कराये गये हैं, जिसमें उनके द्वारा राजस्व दायरा पंजी प्रदर्श पी 13 में सरल क्रमांक 20 में उत्तरजीवी की जाति गोंड होकर, अनुसूचित जनजाति के रूप में रजिस्ट्रेशन क्रमांक आर.एस./451/0104/13080/2014 के रूप में प्रविष्टी की गई है एवं न्यायालयीन अभिलेख में संलग्न अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रदर्श पी 7 पर डिजिटल हस्ताक्ष्र किये गये हैं।

13. बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 7 का जाति प्रमाणपत्र अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जारी कियाा गया था। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है कि जाति प्रमाणपत्र बनाने हेतु उत्तरजीवी के पिता ने कौन से दस्तावेज दिये थे एवं उनके द्वारा उत्तरजीवी की जाति गोंड होने के संबंध में को जांच नहीं की थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य की जानकारी होने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि प्रदर्श पी 7 का जाति प्रमाणपत्र सही दस्तावेजों के आधार पर जारी हुआ है या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी हुआ है।

14. उपरोक्तानुसार किये गये साक्ष्य विश्लेषण से उत्तरजीवी एवं उत्तरजीवी के माता–पिता के द्वारा उनका अनुसूचित जनजाति वर्ग में आना बताया गया है एवं बचाव पक्ष के द्वारा उक्त साक्षीगण पर कोई प्रभावी प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है, जिससे उक्त

साक्षीगण के कथन अखण्डनीय रहे हैं। उत्तरजीवी की जाति अनुसूचित जनजाति होने की पुष्टि जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 07 से भी होती है, जिसे रीडर अनीता सिंह (अ.सा.04) के द्वारा प्रमाणित किया गया है एवं बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रभावी प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य नहीं आया है कि उत्तरजीवी द्वारा जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाया गया है। चूंकि उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आकर धारा 35 साक्ष्य अधिनियम के तहत सुसंगत दस्तावेज है। अतः यह निष्कर्ष समक्ष है कि **उत्तरजीवी (अ.सा.1) की जाति गोंड होकर वह अनुसूचित जनजाति की सदस्य है।**

15. अभियुक्त का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होने के परिप्रेक्ष्य में उत्तरजीवी A (अ.सा.01), उत्तरजीवी की माता B (अ.सा.02) एवं उत्तरजीवी के पिता C (अ.सा.03) ने अभियुक्त की जाति का ज्ञान होने से मना किया है। अभियुक्त द्वारा स्वयं धारा 313 द.प्र.सं. के तहत प्रश्न क्रमांक 4 में उसका अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना स्वीकार नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त के द्वारा की गई स्वीकारोक्त्री के आधार पर **अभियुक्त का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होना प्रमाणित है।**

—: विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निराकरण :—

16. पीड़ित बालक/उत्तरजीवी की आयु निर्धारण संबंधी विधिक स्थिति पर एक दृष्टिपात किया जाना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांत **जरनेलसिंह विरूद्ध हरियाणा राज्य 2013 ए.आई.आर. 3467** में पीड़ित बालिका/बालक की उम्र का निर्धारण, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, की उम्र के निर्धारण के संबंध में, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, के तहत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने संबंधी मत दिया गया है, उक्त न्यायदृष्टांत का सुसंगत अंश निम्नानुसार हैः—

Even though Rule 12 is Strictly applicable only to determine the age of a child in conflict with law, we are of the view that the aforesaid statutory provision should be the basis for determining age, even for a child who is a victim of crime. For in our view, there is hardly any difference in so for as the issue of minority is concerned between a child in conflict with law and a child who is a victim of crime.

17. उक्त न्यायदृष्टांत के समय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के वर्ष 2007 के नियम प्रभावशील थे, जिसके नियम 12 के उपनियम 3 के तहत न्यायालय को भी विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक की आयु निर्धारण करने की शक्ति प्राप्त थी। उक्त न्यायदृष्टांत में पीड़ित बालक/बालिका के उम्र का निर्धारण भी उक्त नियमों के नियम 12 के उपनियम 3 के अनुसार किये जाने संबंधी विधि प्रतिपादित की गई थी, परन्तु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 111 द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 को निरसित किया गया है। उक्त नवीन अधिनियम में, आयु निर्धारण संबंधी प्रावधान धारा 94 में निम्नानुसार दिये गये हैं:–

(1) जहां बोर्ड या समिति को, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन (साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न) उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति उपसंजाति के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त व्यक्ति बालक है तो समिति या बोर्ड बालक की यथासंभव सन्निकट आयु का कथन करते हुये ऐसे संप्रेक्षण को अभिलिखित करेगा तथा आयु की और अभिपुष्टि की

प्रतीक्षा किए बिना, यथास्थिति, धारा 14 या 36 के अधीन जांच करेगा।

(2) यदि समिति या बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह होने के युक्तियुक्त आधार हैं कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो यथास्थिति, समिति या बोर्ड, निम्नलिखित साक्ष्य अभिप्राप्त करके आयु अवधारण की प्रक्रिया का जिम्मा लेगा–

(i) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण–पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण–पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में,

(ii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण–पत्र;

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आधार पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सकीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जायेगा।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष इस प्रकार लाए गए व्यक्ति की अभिलिखित आयु, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की सही आयु समझी जाएगी।

18. उपरोक्त वर्णित धारा 94 में मात्र **''बोर्ड एवं कमेटी''** शब्द का उल्लेख है, किन्तु **''न्यायालय''** शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्रावधान के तहत न्यायालय को आयु निर्धारण की शक्ति प्राप्त नहीं है, परन्तु इसी के साथ साथ यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि किशोर न्याय (बालकों की

देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 86 द्वारा उक्त अधिनियम के तहत अपराधों का वर्गीकरण किया गया है एवं उनके विचारण का क्षेत्राधिकार 'बालक न्यायालय' जो कि एक सत्र न्यायालय होता है एवं 'मजिस्ट्रेट न्यायालय' को दिया गया है तथा उक्त अधिनियम के नियम 2016 के नियम 54 में बालकों के विरूद्ध अपराधों के मामले में प्रक्रिया को वर्णित किया गया है, जिसका उपनियम (18)(iv) निम्नानुसार प्रावधानित है :—

> For the age determination of the victim, in relation to offences against children under the Act, the same procedures mandated for the Board and the Committee under section 94 of the Act to be followed.

19. उक्त प्रावधान से यह दर्शित है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत वर्णित अपराधों के मामलों में, जिनके विचारण की क्षेत्राधिकारिता न्यायालयों को दी गई है में, पीड़ित जो कि 'बालक' ही होता है, की आयु के निर्धारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 94 के अधीन दी गई, प्रक्रिया का पालन किया जाना प्रावधानित किया गया है, तब लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत भी पीड़ित 'बालक' की आयु का निर्धारण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 पर आधारित किया जा सकता है क्योंकि तत्संबंध में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में कोई प्रक्रिया प्रावधानित नहीं है एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के ''पीड़ित बालक'' तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के ''पीड़ित बालक'' के मध्य किसी प्रकार का भेद किया जाना भी उचित नहीं है, जिस कारण यदि धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के

आधार पर पॉक्सो के मामलों में पीड़ित 'बालक' की आयु का निर्धारण किया जाता है तो न सिर्फ न्यायालय का निष्कर्ष मनमाना न होकर, उसका एक विधिक आधार होगा, बल्कि विभिन्न न्यायालयों के मध्य मत भिन्नता को भी रोका जा सकेगा। अतः धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के आधार पर उत्तरजीवी की आयु निर्धारण की ओर अग्रसर हुआ जा रहा है।

20. उपरोक्त न्यायसिद्धांत एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में अभिलेख पर आयी साक्ष्य का अवलोकन किया जावें, तो **उत्तरजीवी A(अ.सा.01), उत्तरजीवी की माता B (अ.सा.02) एवं उत्तरजीवी के पिता C (अ.सा.03)** ने उत्तरजीवी की आयु 19 वर्ष होना बताया है एवं जन्मदिनांक 13.06.2006 होना बताया है। उत्तरजीवी द्वारा पुलिस को उसकी कक्षा दसवीं की अंकसूची प्रदर्श पी 5 दिया गया था, जिसे पुलिस द्वारा जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 7 के मुताबिक जप्त किया गया था। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने उत्तरजीवी की वास्तविक जन्मदिनांक 13.06.2005 होने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में उपरोक्त साक्षीगण ने यह स्वीकार किया है कि विद्यालय में दाखिला नहीं हो रहा था, इस कारण उत्तरजीवी की विद्यालय में उम्र एक वर्ष कम करके लिखाई थी।

21. अभियोजन द्वारा उत्तरजीवी की आयु के संबंध में उत्तरजीवी के विद्यालय के **प्रधाान पाठक अरूणा ठाकुर (अ.सा.05)** के कथन लेखबद्ध कराये गये हैं। उक्त साक्षी के द्वारा उनके विद्यालय में **दाखिल–खारिज पंजी प्रदर्श पी 14** में स्कॉलर क्रमांक 152 पर दिनांक 12.07.2022 को कक्षा **पहली** में प्रवेश देने व उसकी जन्मदिनांक **13.06.2005** होने संबंधी प्रविष्टी किये जाने संबंधी कथन किये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी के द्वारा पुलिस को उत्तरजीवी की जन्मतिथि के संबंध में प्रमाणपत्र प्रदर्श पी 15 भी दिया गया था।

22. बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उत्तरजीवी के माता–पिता ने उत्तरजीवी के दाखिले के समय जन्म के संबंध में कोई भी अस्पताल का दस्तावेज या जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था एवं मौखिक रूप से उत्तरजीवी की जन्मदिनांक बताई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य की जानकारी होने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि उत्तरजीवी के माता–पिता ने उत्तरजीवी की जन्मदिनांक कम करके लिखाई है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रवेश के समय उत्तरजीवी के माता–पिता नहीं आये थे, उसके नाना दाखिला कराने आये थे एवं उत्तरजीवी के नाना के द्वारा यह बताया गया था कि उत्तरजीवी का जन्म घर पर हुआ था। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे दर्शित हो कि उत्तरजीवी की जन्मतिथि 13.06.2005 नहीं है।

23. अभिलेख पर आई साक्ष्य से दर्शित है कि उत्तरजीवी A(अ.सा.01), उत्तरजीवी की माता B (अ.सा.02) एवं उत्तरजीवी के पिता C (अ.सा.03) ने उत्तरजीवी की आयु 19 वर्ष होना बताया है एवं जन्मदिनांक 13.06.2006 होना बताया है, परंतु उत्तरजीवी के स्कूली दस्तावेजों दाखिल–खारिज पंजी प्रदर्श पी 14 में उत्तरजीवी की जन्मदिनांक 13.06.2005 लेख होना दर्शित है। उत्तरजीवी की आयु के संबंध में दाखिल रजिस्टर प्रदर्श पी 14 में उत्तरजीवी की जन्मतिथि के संबंध में की गई प्रविष्टी लोक कर्तव्य के दौरान की गई प्रविष्टि है।

24. इस संबंध में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय का नवीन न्यायदृष्टांत **रामस्वरूप वि. मध्य प्रदेश शासन, क्रिमिनल अपील क्रमांक 2630/2015, निर्णय दिनांक 02.08.2023** में यह प्रतिपादित किया गया है कि विद्यालय की दाखिल–खारिज पंजी धारा 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत, साक्ष्य में ग्राह्य है, जिससे उत्तरजीवी की जन्मदिनांक दाखिल–खारिज पंजी प्रदर्श पी 14 के आधार पर 13.06.2005 होना प्रमाणित पाई जाती है। यदि प्रतिरक्षा पक्ष के तर्क के अनुसार उत्तरजीवी की जन्मदिनांक दाखिल–खारिज

पंजी प्रदर्श पी 14 में मिथ्या निरूपित की गई है, तो यह प्रमाणित करने का भार स्वयं प्रतिरक्षा पक्ष पर था, परंतु उक्त संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा दाखिल–खारिज पंजी के खण्डन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह दर्शित हो कि उत्तरजीवी के विद्यालय के दाखिल–खारिज में लेखबद्ध जन्मतिथि मिथ्या निरूपित की गई है। अतः दाखिल–खारिज पंजी प्रदर्श पी 14 के आधार पर भी उत्तरजीवी की जन्मदिनांक 13.06.2005 होना प्रमाणित पाई जाती है।

25. अतः उपरोक्तानुसार किये गये साक्ष्य विश्लेषण उपरांत उत्तरजीवी A (अ.सा.1) जन्मदिनांक 13/06/2005 के आधार पर घटना दिनांक 28/03/2023 को 18 वर्ष से कम अर्थात् **17 वर्ष, 09 माह व 15 दिन** की बालिका होकर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(डी) के अधीन **''बालक'' की श्रेणी की थी।**

–: विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 लगायत 09 का निराकरण :–

26. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न एक ही संव्यवहार से उद्भूत होकर, परस्पर एक–दूसरे से संबंधित होने से, साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से एक साथ निराकृत किये जा रहे हैं।

27. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण करने पर दर्शित है कि **उत्तरजीवी A (अ.सा.01)** ने उसके न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह अभियुक्त राज उर्फ शिवम गुप्ता को दिसम्बर 2022 से जानती है, जो उसके पड़ोस में रहने वाले सौरभ भैया का दोस्त था। अभियुक्त राज ने उसके साथ कुछ नहीं किया था। उसका और अभियुक्त का विवाह परिवाजन की सहमति से तय हुआ था, किन्तु कुछ समय बाद अभियुक्त और उसके परिवार ने उसके परिवार से विवाद कर विवाह करने से मना कर दिया था, इसी बात की रिपोर्ट करने वह थाने गई थी, जहां पर

पुलिस ने प्रदर्श पी 1 का आवेदन लिखकर दिया था, जिस पर उससे हस्ताक्षर कराये थे। उसने थाने में अभियुक्त द्वारा उससे विवाह न करने एवं उसके परिवार वालों से विवाद करने की रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 लेख कराई थी। पुलिस ने उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया था। वह न्यायालय में धारा 164 द.प्र.स. के कथन प्रदर्श पी 8 देने आई थी।

28. अभियोजन द्वारा उत्तरजीवी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर अभियोजन के इन तथ्यों से स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किये थे और अभियुक्त ने उसे अकेले मिलने के लिये बुलाया था और शारीरिक संबंध बनाये थे और कहा था कि यदि वह उक्त बात किसी को बतायेगी, तो वह उसे जान से मार देगा और बदनामी करने की धमकी देता था। उत्तरजीवी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि अभियुक्त उसे धमकी देकर 8–9 बार सांई नगर की पहाड़ी पर मिलने के लिये बुलाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे।

29. उत्तरजीवी ने प्रदर्श पी 1 का आवेदन भी लेख करने से इंकार किया है और अपने स्वतः कथनों में बताया है कि उसका अभियुक्त से विवाह तक हो गया था और अभियुक्त के माता–पिता ने शादी कराने से मना कर दिया था, जिससे उनके परिवारों के मध्य विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट थाने में लेखबद्ध की थी। प्रतिपरीक्षण में भी उत्तरजीवी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने कभी भी उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध नहीं बनाये थे, जिससे उत्तरजीवी (अ.सा.01) के कथनों से यह दर्शित नहीं होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने उत्तरजीवी के साथ बार–बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्संग कारित किया था।

30. उत्तरजीवी के कथनों का समर्थन **उत्तरजीवी की माता B (अ.सा. 02)** एवं **उत्तरजीवी के पिता C (अ.सा.03) के द्वारा भी किया गया है। दोनों ही साक्षियों**

ने उसके कथनों में यह बताया है कि उत्तरजीवी का विवाह अभियुक्त से उनकी सहमति से तय हुआ था, किन्तु कुछ समय बाद अभियुक्त और उसके परिवार ने उनके परिवार से विवाद कर उत्तजीवी से विवाह करने से मना कर दिया था, इसी बात की रिपोर्ट करने उत्तरजीवी थाने गई थी। उत्तरजीवी ने थाने में अभियुक्त द्वारा उससे विवाह न करने एवं उनके परिवार वालों से विवाद करने की रिपोर्ट लेख कराई थी।

31. उपरोक्त साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उपरोक्त साक्षीगण ने अभियोजन के इन सुझावों से स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि अभियुक्त ने उत्तरजीवी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये थे और उसे परेशान करता था और बार–बार धमकी देकर उसके साथ 8–9 बार शारीरिक संबंध बनाये थे। दोनों ही साक्षियों ने प्रतिपरीक्षण में भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उत्तरजीवी के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाये थे, जिससे प्रकरण मे उत्तरजीवी की माता (अ.सा.02) एवं उत्तरजीवी के पिता (अ.सा.03) के कथनों से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने उत्तरजीवी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्संग कारित किया था।

32. घटना के संबंध में **डॉ. नेहा पौराणिक (अ.सा.06)** ने कथन किया है कि दिनांक 19.04.2023 को एल्गिन अस्पताल जबलपुर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ रहने के दौरान उत्तरजीवी को मेडिकल परीक्षण हेतु उनके समक्ष लाये जाने पर, उत्तरजीवी ने उन्हें बताया था कि उसके बॉयफ्रेन्ड राज गुप्ता के साथ उसके दोस्त के घ ार पर सुबह करीब 01:30 बजे शारीरिक संबंध बने थे, उसे आखरी बार माहवारी 10.04. 2023 को आई थी। परीक्षण के दौरान उसे बाह्य रूप में पूरे शरीर पर और आन्तरिक रूप में गुप्तांग पर कोई चोट के निशान मौजूद नहीं थे। उक्त साक्षी के द्वारा उत्तरजीवी की वैजाइनल स्लाइड और मेंहदी कलर की पैन्टी जो उस समय पहनी थी, सील बंद कर संबंधित आरक्षक को सील नमूने के साथ सौंपा गया एवं यूपीटी टेस्ट

कराया गया, जो पाजिटिव थी एवं उत्तरजीवी को गायनिक की सलाह दी गई थी और पीडियाट्रिक ओपिनियन की सलाह दी गई थी। उक्त साक्षी के द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 है।

33. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी यह बताया है कि उत्तरजीवी की सोनोग्राफी रिपोर्ट में उसकी प्रेग्नेंसी नेगेटिव आई थी। उक्त साक्षी ने प्रदर्श पी 16 में उत्तरजीवी के हायमन परीक्षण का उल्लेख नहीं किया है, जिससे उक्त साक्षी के कथनों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उनके द्वारा उत्तरजीवी की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है।

34. घटना के संबंध में विवेचक **उपनिरीक्षक संध्या पटेल (अ.सा.07)** ने कथन किया है कि दिनाँक 19.04.2023 को थाना गोरखपुर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहने के दौरारन उत्तरजीवी के द्वारा अभियुक्त राज गुप्ता के विरूद्ध एक लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ करीब 8–9 बार जबरदस्ती, बदनाम करने की धमकी देकर और जां से खत्म करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाये गये हैं। उत्तरजीवी के आवेदन के आधार पर उक्त साक्षी के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 287 / 2023, अंतर्गत धारा 376, 376(2n) व 506 भादवि, धारा 3 / 4 व 5L / 6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(1)(w)(i), 3(1)(w)(ii) व 3(2)(v) एससीएसटी एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 लेख कर, उत्तरजीवी का मुलाहिजा फार्म प्रदर्श पी 16ए भरकर एल्गिन अस्पताल जबलपुर भेजा गया एवं उत्तरजीवी के कथन उसके बताये अनुसार लेख किये गये।

35. उक्त साक्षी के द्वारा अस्पताल से उत्तरजीवी की यूपीटी रिपोर्ट एवं एमएलसी रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न की गई एवं दिनांक 20.04.2023 को घटना स्थल अभियुक्त के दोस्त के मकान पर जाकर उत्तरजीवी की निशादेही पर घटना स्थल

का मौका नक्शा प्रदर्श पी 3 बनाया एवं उत्तरजीवी के बताने स्थान पहाड़ी स्थल पर उत्तरजीवी की निशादेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी 4 बनाया गया, किंतु प्रकरण में विवेचक संध्या पटेल (अ.सा.07) के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन स्वयं उत्तरजीवी (अ.सा.01), उत्तरजीवी की माता (अ.सा.02) एवं उत्तरजीवी के पिता (अ.सा.03) के द्वारा नहीं किया गया है, जिससे घटना का समर्थन विवेचक संध्या पटेल (अ.सा.07) के द्वारा की गई कार्यवही से भी नहीं होता है।

36. इसी तरह **निरीक्षक अरविंद कुमार चौबे (अ.सा.08)** ने कथन किया है कि दिनाँक 19.04.2023 को थाना गोरखपुर में निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ रहने के दौरान अपराध क्रमांक 287/2023 की विवेचना के दौरान अभियुक्त को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 17 बनाकर, उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसकी माता को दी एवं अभियुक्त का मुलाहिजा फार्म प्रदर्श पी 18 भरकर विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर भेजा गया। उक्त साक्षी के द्वारा दिनांक 26.04.2023 को एक बंद लिफाफे में उत्तरजीवी के वीडियोग्राफी कथनों की सीडी पुलिस कन्ट्रोल की फोटा शाखा से एवं 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 19 तैयार किया गया।

37. अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा दिनांक 03.05.2023 को साक्षी आरती ठाकुर, उत्तरजीवी के पिता, उत्तरजीवी की माता, उत्तरजीवी के भाई एवं दिनांक 28.04.2023 को उत्तरजीवी के पूरक कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये एवं दिनांक 08.05.2023 को डीएनए परीक्षण कराने हेतु अभियुक्त का रक्त नमूना लेने बाबत् पुलिस अधीक्षक जबलपुर से प्रदर्श पी 21 का फॉरवर्डिंग नोट प्राप्त किया गया एवं अभियुक्त को रक्त नमूना एकत्रित करने बाबत् विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टर ने प्रदर्श पी 10 के आइडेन्टीफिकेशन फॉर्म पर चस्पा अभियुक्त की छायाचित्र को सत्यापित कर तीन एमएल रक्त नमूना ईडीटीए वॉइल में संरक्षित कर,

सील बंद कर उसे दिया था।

38. उक्त साक्षी के द्वारा अभियुक्त के तीन एमएल रक्त नमूना को एक सील बंद ईडीटीए वॉइल को डॉक्टर पल्लवी ठाकुर से विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर में जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 22 तैयार किया एवं प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्शों को परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर के पत्र क्रमांक 494/2022 दिनांक 08.05.2023 के माध्यम से क्षेत्रीय राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल भेजा था, जो प्रदर्श पी 23 है एवं जिसकी जमा रसीद प्रदर्श पी 24 है। उक्त साक्षी द्वारा उत्तरजीवी के धारा 164 द.प्र.स. के कथन प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किये गये थे। एफएस.एल भापाल से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट क्रमांक 993/23 दिनांक 30.11.2023 प्रदर्श पी 25 है, जिसे भी प्रकरण में संलग्न किया गया।

39. उक्त साक्षी के कथनों से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा विवेचना को प्रमाणित करते हुये डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी 25 को प्रदर्शित किया गया है। डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी 25 में वैज्ञानिकों के द्वारा **उत्तरजीवी के स्त्रोत वैजाइनल स्लाइड (प्रदर्श A), अण्डरवियर (प्रदर्श B) से Uninterpretable Low पुरूष (Y) DNA Profile प्राप्त होने संबंधी** अभिमत दिया गया है, जिससे प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी 25 निश्चायक प्रकृति की नहीं है, जिससे प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट से अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता दर्शित नहीं होती है एवं उत्तरजीवी (अ.सा.01), उत्तरजीवी की माता (अ.सा. 02) एवं उत्तरजीवी के पिता (अ.सा.03) ने भी न्यायालय में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को उत्तरजीवी के साथ बार–बार शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्संग कारित किया था।

40. सभी साक्षियों ने अभियुक्त के द्वारा उत्तरजीवी के साथ बलात्संग कारित करने संबंधी कथनों से इंकार किया है एवं मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 16

से भी अभियुक्त द्वारा उत्तरजीवी के साथ बलात्संग करने संबंधी कोई निश्चित अभिमत प्राप्त नहीं होता है, जिससे प्रकरण में निरीक्षक अरविंद कुमार चौबे (अ.सा.08) के द्वारा की गई विवेचना से भी यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने उत्तरजीवी के साथ उसकी नाबालिग अवस्था में बार–बार बलात्संग कारित किया था।

41. प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने उत्तरजीवी के साथ एक से अधिक बार या बार–बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्संग कारित किया था। फलतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा **376(2) व 376(2)(n)** के आरोपों का <u>**दोषी नहीं पाया जाता है।**</u>

42. अभियुक्त पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4(2) व 5(L) सहपठित धारा 6 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है। भले ही विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 के तहत अभियोजन यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में **सफल** रहा है कि घटना दिनांक को उत्तरजीवी का 18 वर्ष से कम आयु की बालिका थी, परंतु उत्तरजीवी (अ.सा.1), उत्तरजीवी की माता (अ.सा.02) एवं उत्तरजीवी के पिता (अ.सा.03) की साक्ष्य से एवं डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी 25 से अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा के तहत दण्डनीय अपराध कारित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक तथ्य (Foundational Fact) स्थापित होना पूर्णतः प्रमाणित नहीं है, जिस कारण धारा 29 व 30 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की उपधारणा, अभियुक्त के विरूद्ध किये जाने के आधार उत्पन्न नहीं होते हैं।

43. इस संबंध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का न्यायदृष्टांत **दिनेश यादव वि. म.प्र.शासन व अन्य आई.एल.आर 2023 एमपी 1841 (DB) before Mr. Justice Amar Nath (kesharwani) CRA No. 728/2019**

(jabalpur) decided on 12 April, 2023 के पैरा नंबर 73 यह अभिमत प्रतिपादित है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (2012 का 32), धारा 29(2) व 30 – उपधारणा – अभिनिर्धारित – धारा 29 व 30 उपधारणा सृजित करती है, ऐसी उपधारणा आधारभूत तथ्यों को स्थापित करने की अभियोजन की क्षमता पर निर्भर होती है – जब अभियोजन द्वारा कोई भी आधारभूत तथ्य स्थापित नहीं किये जा सके, धारा 29 व 30 के अंतर्गत उपधारणा की सहायता लेकर, किसी अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा मामला प्राथमिक तथ्य से स्थापित नहीं किया गया एवं बचाव पक्ष के द्वारा उक्त तथ्यों का खण्डन किया गया है, जिस कारण धारा 29 व 30 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की उपधारणा, अभियुक्त के विरूद्ध किये जाने के आधार उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः फलतः अभियुक्त को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की **धारा 3 सहपठित धारा 4(2) व 5(L) सहपठित धारा 6** के आरोपों का भी **दोषी नहीं पाया जाता है।**

44. जहां तक अभियुक्त द्वारा यह जानते हुये कि उत्तरजीवी अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, उसे स्पर्श करने एवं उसके साथ बार–बार बलात्संग कारित किये जाने का प्रश्न है, तो उक्त संबंध में प्रकरण में स्वयं उत्तरजीवी (अ.सा.01) ने उसके कथनों में इस तथ्य से स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किये थे। उत्तरजीवी (अ.सा0.01), उत्तरजीवी की माता (अ. सा.02) एवं उत्तरजीवी के पिता (अ.सा.03) ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियुक्त और उत्तरजीवी का विवाह तय हो गया था, परंतु अभियुक्त के माता–पिता ने विवाह करने से मना कर दिया था, जिससे दोनों परिवारों के बीच विवाद हो गया था, इस कारण उत्तरजीवी ने थाने में रिपोर्ट की थी। अभियुक्त ने उत्तरजीवी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किये थे और प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी 25 में भी अभिमत अनिश्चायक प्रकृति का प्राप्त हुआ है, जिससे डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी 25 से

भी यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने उत्तरजीवी के साथ संबंध बनाकर बलात्संग कारित किया था। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य भी विधिवत् प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा यह जानते हुये कि उत्तरजीवी अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, उसे स्पर्श कर, उसके साथ बार–बार बलात्संग कारित किया गया। फलतः अभियुक्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा **3(1)(w)(i) व 3(2)(v)** के आरोपों का **<u>दोषी नहीं पाया जाता है।</u>**

45. जहां तक अभियुक्त द्वारा उत्तरजीवी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने का प्रश्न है, तो उक्त संबंध में उत्तरजीवी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त उसे जान से मारने की धमकी देता था और स्वयं उत्तरजीवी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त की उससे शादी तय हो गई थी, परंतु अभियुक्त के माता–पिता ने शादी कराने से मना कर दिया था, जिससे दोनों परिवारों में विवाद हो गया था, जिसकी उसने थाने में रिपोर्ट की थी, जिससे साक्ष्य अभाव के कारण यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त द्वारा उत्तरजीवी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की ध**ारा 506 भाग–दो** के आरोप का भी **<u>दोषी नहीं पाया जाता है।</u>**

46. उपरोक्तानुसार साक्ष्य विश्लेषण से यह निष्कर्ष समक्ष है कि अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे, प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्त ने ''दिनांक 28.03.2023 को रात के 01:30 स्थान सौरभ का घ र में, 3 नंबर टंकी के पास, नयागांव, रामपुर, थाना गोरखपुर, जिला जबलपुर में स्वयं अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य न होते हुये, 18 वर्ष से कम आयु की उत्तरजीवी जो कि अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, इस बात की जानकारी रखते हुये उसके साथ

बलात्संग कारित कर, प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया एवं दिनांक 28.03.2023 से 17.04.2023 के मध्य की अवधि में सांई नगर पहाड़ी, थाना गोरखपुर, जिला जबलपुर में बार–बार बलात्संग कारित कर, गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया एवं उत्तरजीवी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य न होकर, उत्तरजीवी जो कि एक अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, को स्पर्श किया, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य लैंगिक प्रकृति का है और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना है।'' फलतः अभियुक्त **राज उर्फ शिवम गुप्ता पिता मनोज गुप्ता** को **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376(2), 376(2n) व 506 भाग–दो एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4(2) व 5(L) सहपठित धारा 6 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(w)(i) व 3(2)(v)** के आरोपों का दोषी न पाया जाकर **''दोषमुक्त''** घोषित किया जाता है।

47. अभियुक्त **राज उर्फ शिवम गुप्ता** दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 17.08.2023 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। अतः इस संबंध में पृथक से धारा 428 द.प्र.सं. के तहत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

48. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

49. प्रकरण में संलग्न उत्तरजीवी की मूल कक्षा दसवीं की अंकसूची प्रदर्श पी 5 एवं मूल जाति प्रमाणपत्र प्रदर्श पी 7 उत्तरजीवी को वापस लौटाया जावे।

50. **जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 7ए** के माध्यम से उत्तरजीवी की कक्षा दसवीं की अंकसूची प्रदर्श पी 5 की मूल से मिलान की हुई हुबहू छायाप्रति प्रदर्श पी 5सी एवं जाति प्रमाणपत्र प्रदर्श पी 7 की मूल से मिलान की हुई हुबहू छायाप्रति प्रदर्श पी 7सी एवं **जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 19** के माध्यम से जप्त उत्तरजीवी के वीडियोग्राफी कथन की सीडी मय धारा

65बी का प्रमाणपत्र एवं **जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 20** के माध्यम से जप्त उत्तरजीवी की दाखिल–खारिज पंजी की छायाप्रति प्रदर्श पी 14सी एवं घोषणा पत्र की छायाप्रति प्रदर्श पी 15 **अभिलेख का भाग होंगे।**

51. **जप्ती पत्रक दिनांक 20.04.2023** के माध्यम से जप्त उत्तरजीवी की वैजाइनल स्लाइड, अण्डरवियर व सील नमूना एवं **जप्ती पत्रक दिनांक 20.04.2023** के माध्यम से जप्त अभियुक्त की सीमन स्लाइड व सील नमूना एवं **जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 22** के माध्यम से जप्त ईडीटीए वॉइल में रक्त नमूना व सील नमूना **अनुपयोगी होने से** अपील अवधि पश्चात्, अपील न होने की दशा में धारा 452(4) द0प्र0सं0 में विहित अवधि पश्चात् नष्ट की जावे, किन्तु अपील होने की दशा में सम्पूर्ण जप्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार किया जावेगा। जप्ती पत्रक दिनांक 20.04.2023 के माध्यम से जप्त उत्तरजीवी की मुलाहिजा रिपोर्ट अभिलेख का ही भाग होंगी।

52. निर्णय की एक प्रति धारा 365 द0प्र0सं0 के अनुपालन में जिला दण्डाधिकारी जबलपुर को भेजी जावे।

53. यह भी निर्देशित किया जाता है कि उत्तरजीवी का नाम, पता, फोटोग्राफ अथवा परिवार की जानकारी एवं ऐसी अन्य विशिष्टियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी प्रकाशन न किया जावे, जिससे उत्तरजीवी की पहचान प्रकट होती हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

{श्रीमती बरखा दिनकर}
विशेष न्यायाधीश
(पाक्सो एवं एस.सी.एस.टी.(POA)अधि.)
जबलपुर, जिला जबलपुर(म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

BARKHA DINKAR Digitally signed by BARKHA DINKAR Date: 2024.01.22 12:05:54 +0530

{श्रीमती बरखा दिनकर}
विशेष न्यायाधीश
(पाक्सो एवं एस.सी.एस.टी.(POA)अधि.)
जबलपुर, जिला जबलपुर(म.प्र.)